कार्यालय आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक– 1 /प्र0क0–2/2024–25 लखनऊ दिनांक 07 अक्टूबर, 2024

समस्त जोनल अपर आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय– उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति–2024 के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1299/11–3–2024 दिनांक 18.09.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रमुख सचिव, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–406/उन्नीस–2–2024 दिनांक 28.08.2024 **(छायाप्रति संलग्न)**, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति–2024 जारी की गयी है, की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है।

उक्त नीति के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में विभिन्न विकासपरक, जनकल्याणकारी, लाभकारी योजना/उपलब्धियों की जानकारी एवं उससे होने वाले लाभ को प्रदेश की जनता तक डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म्स एवं इसी प्रकार के अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के माध्यम से पहुंचाये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति–2024 लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतएव शासन के उक्त पत्र दिनांक 18.09.2024 के माध्यम से प्राप्त सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 28.08.2024 द्वारा जारी उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति–2024 की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(धनन्जय शुक्ला)
अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0–961 /तददिनांकित।

प्रतिलिपि– 1. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

2. समस्त उपायुक्त/सहायक आयुक्त/राज्य कर अधिकारी (प्रभारी पूर्व मनोरंजन कर कार्य), राज्य कर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(धनन्जय शुक्ला)
अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

DC (I-T)
08/10/24
2629

संख्या-1299/11-3-2024

प्रेषक,

विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-3 लखनऊःदिनांकः18 सितम्बर, 2024

विषयः- उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति-2024 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन का संख्या-406/उन्नीस-2-2024 दिनांक 28-08-2024 की छायाप्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया पत्र में की अपेक्षानुसार विषयगत प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

Signed by Vinod Kumar Varma
Date: 18-09-2024 12:34:52

(विनोद कुमार वर्मा)
अनु सचिव।

अपर आयुक्त
आयुक्त
20.09.2024

1978

ACE
JC(IT)
ADC
23.9.24

26.9.2024

726

24/09/024

115/PS)ST/2024 VS(SP) mail 1299/11-3-2024

संख्या-406/उन्नीस-2-2024

प्रेषक,

संजय प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

02.09.24
(एम० देवराज)
प्रमुख सचिव
राज्य कर विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0,
लखनऊ।

सूचना अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2024

विषय- उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति-2024।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-233/वे0मी0-460/2023, दिनांक 20 अगस्त, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में विभिन्न विकासपरक, जन कल्याणकारी/लाभकारी योजनाओं/उपलब्धियों की जानकारी एवं उससे होने वाले लाभ को प्रदेश की जनता तक डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म्स एवं इसी प्रकार के अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के माध्यम से पहुंचाए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति-2024 लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा देश व विदेश के विभिन्न प्रान्तों/राज्यों एवं जिलों में रोजगार, व्यवसाय एवं अन्य विभिन्न कारणों से प्रदेश के बाहर प्रवास करता है, जिसकी पहुंच इण्टरनेट, सोशल एवं डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रायः अधिक संख्या में होती है। इस दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्यक्रमों एवं योजनाओं की सूचना एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ त्वरित रूप से डिजिटल माध्यम से प्रदेश के भीतर व बाहर प्रवास कर रहे लोगों तक पहुंचाये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के भीतर व बाहर से संचालित डिजिटल मीडिया हैन्डल/पेज/चैनल/अकाउंट होल्डर /संचालक/डिजिटल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स/कन्टेन्ट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म को विभाग में सूचीबद्ध कर आवश्यकता एवं उपयोगिता के अनुरूप नियमानुसार विज्ञापन निर्गत किया जाएगा। डिजिटल मीडिया नीति के अंतर्गत सभी प्रकार के विज्ञापन सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किये जाएंगे। उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति-2024 के प्राविधान निम्नवत् हैं:-

01/VS(SP)/2024
JS(RD)
SO-3
02.9.24
(श्याम प्रकाश नारायण)
विशेष सचिव,
राज्य कर विभाग,
उ0प्र0 शासन।

SO-3
02/09/2024
(रघुवीर प्रसाद)
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन,
राज्य कर विभाग।

सूचीबद्धता हेतु प्रावधान

3(1)- सूचीबद्धता हेतु सूचना विभाग में डिजिटल मीडिया हैन्डल /पेज /चैनल /अकाउंट होल्डर/ संचालक// डिजिटल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स/कन्टेन्ट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म का

कम से कम 02 वर्ष से अस्तित्व में होना अनिवार्य है। इस संबंध में आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

(2) सूचीबद्धता हेतु आवेदन के समय पिछले 06 माह की डिजिटल मीडिया एनालिटिक्स रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसी आधार पर विभिन्न श्रेणियों में डिजिटल मीडिया हैन्डल /पेज /चैनल / अकाउंट होल्डर / संचालक / डिजिटल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स/कन्टेन्ट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म को सूचीबद्ध किया जायेगा।

(3) सूचना विभाग में डिजिटल मीडिया हैन्डल / पेज / चैनल / अकाउंट होल्डर / संचालक / डिजिटल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स/कन्टेन्ट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म को विज्ञापन हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रियानुसार सूचीबद्ध किया जाएगा।

(4) सूचीबद्धता हेतु सूचना विभाग में डिजिटल मीडिया हैन्डल /पेज / चैनल /अकाउंट होल्डर/ संचालक/ डिजिटल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स/कन्टेन्ट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(5) सूचीबद्धता हेतु आवेदन करने वाले डिजिटल मीडिया हैन्डल/ पेज/ चैनल/ अकाउंट होल्डर / संचालक/ डिजिटल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स/कन्टेन्ट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्रस्तुत की गई जानकारी सही है। यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी भविष्य में गलत पाई जाती है, ऐसी स्थिति में उक्त फर्म की सूचीबद्धता रद्द कर दी जायेगी।

(6) सूचना विभाग में सूचीबद्धता हेतु डिजिटल मीडिया हैन्डल / पेज / चैनल / अकाउंट होल्डर /संचालक/ डिजिटल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स/कन्टेन्ट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म के पास वीडियो/पोस्ट/कंटेन्ट आदि के निर्माण हेतु स्वयं के शूटिंग से संबंधित समस्त उपकरण उपलब्ध होने चाहिए।

(7) समाचार पत्र/पत्रिकाओं की भांति डिजिटल मीडिया हैन्डल /पेज /चैनल / अकाउंट होल्डर /संचालक / डिजिटल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स/कन्टेन्ट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म को <u>सूचीबद्धता प्रदान किए जाने के संबंध में निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी।</u> इस संबंध में किसी भी वाद की स्थिति में वाद क्षेत्र लखनऊ होगा।

नोट- डिजिटल मीडिया हैण्डल से आशय व्यक्तिगत स्तर पर संचालित सोशल मीडिया अकाउंट से है।

सूचीबद्धता हेतु आवश्यक प्रपत्र

- फर्म का नाम एवं पंजीकरण से संबंधित प्रपत्र
- जी0एस0टी0 नंबर/व्यक्तिगत स्तर पर संचालित सोशल मीडिया अकाउंट्स के संचालक का आयकर रिटर्न का प्रमाण पत्र।
- पैन नंबर
- बैंक खाते का पूर्ण विवरण
- फर्म के अधिकृत व्यक्ति/व्यक्तिगत स्तर पर संचालित सोशल/ डिजिटल मीडिया के अकाउंट के संचालक का आधार कार्ड
- अधिकृत व्यक्ति का संपर्क विवरण

- डिजिटल मीडिया हैन्डल / पेज / चैनल / अकाउंट होल्डर / संचालक / डिजिटल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स/कन्टेन्ट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म को सूचीबद्धता के समय इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उनके फर्म/एजेंसी के अंतर्गत किन यूट्यूब चैनल/फेसबुक पेज/इंस्टाग्राम हैन्डल/X (पूर्व में ट्विटर) का स्वामित्व है।

4- **डिजिटल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म की सूचना विभाग में सूचीबद्धता सबस्क्राइबर/फॉलोवर्स के आधार पर 04 भिन्न श्रेणियों में की जाएगीः-**

डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म यथा- फेसबुक, X (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम और यूट्यूब इत्यादि का संचालन करने वाली एजेंसियों की सूचीबद्धता सब्सक्राइबर /फॉलोअर्स के आधार पर निम्नलिखित 04 श्रेणियों में अन्य सभी शर्तों को पूर्ण करने की स्थिति में की जाएगी-

फेसबुक पेज हेतु -

श्रेणी	न्यूनतम आवश्यकता	वीडियो/पोस्ट की निर्धारित संख्या
ए	न्यूनतम 10 लाख सब्सक्राइबर / फालोअर्स	विगत 06 माह में डिजिटल मीडिया हैंडल / पेज / चैनल में प्रतिमाह 10 मौलिक/ Original वीडियो या 20 मौलिक/ Original पोस्ट किया जाना अनिवार्य है।
बी	न्यूनतम 05 लाख सब्सक्राइबर / फालोअर्स	विगत 06 माह में डिजिटल मीडिया हैंडल / पेज / चैनल में प्रतिमाह 08 मौलिक/ Original वीडियो या 16 मौलिक/ Original पोस्ट किया जाना अनिवार्य है।
सी	न्यूनतम 02 लाख सब्सक्राइबर / फालोअर्स	विगत 06 माह में डिजिटल मीडिया हैंडल / पेज / चैनल में प्रतिमाह 06 मौलिक/ Original वीडियो या 12 मौलिक/ Original पोस्ट किया जाना अनिवार्य है।
डी	न्यूनतम 01 लाख सब्सक्राइबर / फालोअर्स	विगत 06 माह में डिजिटल मीडिया हैंडल / पेज / चैनल में प्रतिमाह 05 मौलिक/ Original वीडियो या 10 मौलिक Original पोस्ट किया जाना अनिवार्य है।

X (पूर्व में ट्विटर) पेज हेतु -

श्रेणी	न्यूनतम आवश्यकता	वीडियो/पोस्ट की निर्धारित संख्या
ए	न्यूनतम 05 लाख सब्सक्राइबर / फालोअर्स	विगत 06 माह में डिजिटल मीडिया हैंडल / पेज / चैनल में प्रतिमाह 15 मौलिक/ Original वीडियो या 30 मौलिक/ Original पोस्ट किया जाना अनिवार्य है।
बी	न्यूनतम 03 लाख सब्सक्राइबर / फालोअर्स	विगत 06 माह में डिजिटल मीडिया हैंडल / पेज / चैनल में प्रतिमाह 12 मौलिक/ Original वीडियो या 30 मौलिक/ Original पोस्ट किया जाना अनिवार्य है।

सी	न्यूनतम 02 लाख सब्सक्राइबर / फालोअर्स	विगत 06 माह में डिजिटल मीडिया हैंडल / पेज / चैनल में प्रतिमाह 10 मौलिक/ Original वीडियो या 20 मौलिक/ Original पोस्ट किया जाना अनिवार्य है।
डी	न्यूनतम 01 लाख सब्सक्राइबर / फालोअर्स	विगत 06 माह में डिजिटल मीडिया हैंडल / पेज / चैनल में प्रतिमाह 08 मौलिक/ Original वीडियो या 15 मौलिक/ Original पोस्ट किया जाना अनिवार्य है।

इंस्टाग्राम पेज हेतु -

श्रेणी	न्यूनतम आवश्यकता	वीडियो/पोस्ट की निर्धारित संख्या
ए	न्यूनतम 05 लाख सब्सक्राइबर / फालोअर्स	विगत 06 माह में डिजिटल मीडिया हैंडल / पेज / चैनल में प्रतिमाह 15 मौलिक/ Original वीडियो या 30 मौलिक/ Original पोस्ट किया जाना अनिवार्य है।
बी	न्यूनतम 03 लाख सब्सक्राइबर / फालोअर्स	विगत 06 माह में डिजिटल मीडिया हैंडल / पेज / चैनल में प्रतिमाह 12 मौलिक/ Original वीडियो या 30 मौलिक/ Original पोस्ट किया जाना अनिवार्य है।
सी	न्यूनतम 02 लाख सब्सक्राइबर / फालोअर्स	विगत 06 माह में डिजिटल मीडिया हैंडल / पेज / चैनल में प्रतिमाह 10 मौलिक/ Original वीडियो या 20 मौलिक/ Original पोस्ट किया जाना अनिवार्य है।
डी	न्यूनतम 01 लाख सब्सक्राइबर / फालोअर्स	विगत 06 माह में डिजिटल मीडिया हैंडल / पेज / चैनल में प्रतिमाह 08 मौलिक/ Original वीडियो या 15 मौलिक/ Original पोस्ट किया जाना अनिवार्य है।

यूट्यूब पेज हेतु -

श्रेणी	न्यूनतम आवश्यकता	वीडियोज की निर्धारित संख्या
ए	न्यूनतम 10 लाख सब्सक्राइबर / फालोअर्स	विगत 06 माह में डिजिटल मीडिया हैंडल / पेज / चैनल में प्रतिमाह 12 मौलिक/ Original वीडियो अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
बी	न्यूनतम 05 लाख सब्सक्राइबर / फालोअर्स	विगत 06 माह में डिजिटल मीडिया हैंडल / पेज / चैनल में प्रतिमाह 10 मौलिक/ Original वीडियो अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

सी	न्यूनतम 02 लाख सब्सक्राइबर / फालोअर्स	विगत 06 माह में डिजिटल मीडिया हैंडल / पेज / चैनल में प्रतिमाह 08 मौलिक / Original वीडियो अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
डी	न्यूनतम 01 लाख सब्सक्राइबर / फालोअर्स	विगत 06 माह में डिजिटल मीडिया हैंडल / पेज / चैनल में प्रतिमाह 06 मौलिक / Original वीडियो अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

<u>नोट-</u>

1. 0 से 90 सेकेण्ड्स अवधि के कन्टेन्ट की गणना रील/शार्ट्स में की जायेगी, जबकि 90 सेकेण्ड्स की अवधि से ऊपर के कन्टेन्ट की गणना वीडियोज में की जाएगी।
2. डिजिटल मीडिया हैण्डल/सोशल मीडिया हैण्डल/पेज /चैनल अकाउंट होल्डर/ संचालक / डिजिटल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स/कन्टेन्ट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म में व्यक्तिगत स्तर पर संचालित सोशल/डिजिटल मीडिया अकाउंट के संचालकों को स्वतः सम्मिलित समझा जायेगा। सूचीबद्धता, कार्यादेश व भुगतान सम्बन्धी समस्त नियम व शर्तें व्यक्तिगत स्तर पर संचालित अकाउंट्स संचालकों पर भी अन्य श्रेणियों की भांति लागू होगी।

5- **विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए कंटेन्ट सामग्री टेक्स्ट, दृश्य-श्रव्य, ग्राफिक्स, एनिमेशन (Text, Audio-Video, Graphics and Animation) के प्रदर्शन एवं भुगतान संबंधी मापदंडः-**

(1) सूचना विभाग में डिजिटल मीडिया हैन्डल/ पेज/ चैनल अकाउंट होल्डर/ संचालक/ डिजिटल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स/कन्टेन्ट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म के स्वामी द्वारा विज्ञापन के देयक के साथ डिजिटल मीडिया एनालिटिक्स (यथा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, X (पूर्व में ट्विटर) द्वारा पोस्टवार जनरेट/ generate होने वाली रिपोर्ट) की रिपोर्ट के साथ उसके द्वारा पोस्ट किये गये कन्टेन्ट की एनालिटिक्स भी उपलब्ध करायेंगे। इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उनके डिजिटल मीडिया हैंडल / पेज / चैनल में विज्ञापन प्रदर्शित या प्रसारित किया गया है तथा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ लिंक में भी किसी भी प्रकार की हेर-फेर नहीं किया गया है।

(2) भुगतान उन्हीं परिस्थितियों में किया जाएगा जब कि यह सुनिश्चित हो जाए कि विज्ञापनादेश के अतिरिक्त अन्य जो भी कंटेन्ट पोस्ट किए जाएंगे वह सामान्यतः 'उत्तर प्रदेश के सामाजिक/शासकीय/आध्यात्मिक/आर्थिक/सांस्कृतिक' विषयों पर ही आधारित हों। साथ ही उक्त कंटेन्ट की रूपरेखा 'विषय' के अनुरूप होनी चाहिए तथा इसका उद्देश्य राज्य में विभिन्न विषयों के बारे में आम जन के बीच जागरूकता बढाना और ज्ञान वर्धन होना चाहिए। इस संबंध में यदि ऐसा पाया जाता है कि कोई भी ऐसा कंटेन्ट/वीडियो/ट्वीट/पोस्ट/रील जो कि राष्ट्र विरोधी हों/समाज विरोधी हों/अभद्र हों या समाज के विभिन्न वर्गों की भावना को ठेस पहुंचाता हो/ गलत तथ्यों पर आधारित हों/सरकार की योजनाओं को गलत ढंग से या गलत मंशा से प्रस्तुत करता हो, उस स्थिति में सूचना निदेशक की स्वीकृति से भुगतान संबंधी शर्तों को पूर्ण करने के बावजूद भुगतान पर रोक लगाई जा सकती है।

(3) भुगतान पूर्णतः व्यूज के आधार पर किया जाएगा। पोस्ट किए गए कंटेन्ट की रीच (पहुंच) अधिक से अधिक हों, इसका मूल्यांकन कंटेन्ट क्रिएटर द्वारा उपलब्ध कराए गए मैट्रिक्स के आधार

पर किया जाएगा। प्रदर्शित किए गए कंटेन्ट के व्यूज वास्तविक/ऑर्गेनिक ही होने चाहिए, यह कंटेन्ट क्रियेटर/सूचीबद्ध एजेंसी के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा तथा इस आशय का एक शपथ पत्र भी सूचीबद्ध एजेंसी द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

(4) **सूचना विभाग द्वारा जारी किए गए मूल कार्यादेश (आर0ओ0) के आधार पर ही भुगतान किया जाएगा। किसी भी डिजिटल मीडिया हैन्डल / पेज / चैनल / अकाउंट होल्डर / संचालक / डिजिटल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स/कन्टेन्ट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म के द्वारा मूल कार्यादेश के अतिरिक्त किसी भी किये गये कार्य अथवा गतिविधि के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।**

तलिका- 'अ'

अकाउंट होल्डर/ संचालक/ डिजिटल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स की श्रेणी	**भुगतान विवरण (फेसबुक/इंस्टाग्राम पर पोस्ट हुए वीडियो/रील/पॉडकास्ट {आडियो एवं वीडियो} हेतु)**
श्रेणी ए	1(i) 0 से 90 सेकेण्ड तक के रील्स/शॉटर्स वीडियो के प्रदर्शन हेतु दर रुपये 50 हजार प्रति विज्ञापन देय होगा तथा दिये गये विषय पर वीडियो/रील/पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि रु0 80 हजार तक देय होगी। (ii) प्रति वीडियो के प्रदर्शन की कुल समयावधि 30 दिवस पूर्ण होने के उपरांत 01 लाख व्यूज से अधिक प्रति 01 लाख व्यूज पर 10 हजार रुपये अतिरिक्त देय होगा। **(प्रति वीडियो अधिकतम भुगतान 01 लाख रुपये तक ही देय होगा।)** 2 (i) 90 सेकेण्ड से अधिक के वीडियो/रील प्रदर्शन हेतु दर रुपये 80 हजार प्रति विज्ञापन देय होगा तथा दिये गये विषय पर वीडियो/रील/पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि रु0 1 लाख तक देय होगी। (ii) प्रति वीडियो के प्रदर्शन की कुल समयावधि 30 दिवस पूर्ण होने के उपरांत 01 लाख व्यूज से अधिक प्रति 01 लाख व्यूज पर 10 हजार रुपये अतिरिक्त देय होगा। **(प्रति वीडियो अधिकतम भुगतान 1.2 लाख तक ही देय होगा।)** 3. श्रेणी ए में सूचीबद्ध डिजीटल मीडिया हैन्डल/ पेज/चैनल को **अधिकतम 05 लाख रुपये प्रतिमाह** के विज्ञापन निर्गत किए जा सकेंगे।
श्रेणी बी	1(i) 0 से 90 सेकेण्ड तक के रील्स/शॉटर्स वीडियो के प्रदर्शन हेतु दर रुपये 45 हजार प्रति विज्ञापन देय होगा तथा दिये गये विषय पर वीडियो/रील/पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि रु0 70 हजार तक देय होगी।

	(ii) प्रति वीडियो के प्रदर्शन की कुल समयावधि 30 दिवस पूर्ण होने के उपरांत 01 लाख व्यूज से अधिक प्रति 01 लाख व्यूज पर 10 हजार रुपये अतिरिक्त देय होगा। **(प्रति वीडियो अधिकतम भुगतान 90 हजार रुपये तक ही देय होगा।)** 2 (i) 90 सेकेण्ड से अधिक के वीडियो/रील प्रदर्शन हेतु दर रुपये 75 हजार प्रति विज्ञापन देय होगा तथा दिये गये विषय पर वीडियो/रील/पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि रु0 80 हजार तक देय होगी। (ii) प्रति वीडियो के प्रदर्शन की कुल समयावधि 30 दिवस पूर्ण होने के उपरांत 01 लाख व्यूज से अधिक प्रति 01 लाख व्यूज पर 10 हजार रुपये अतिरिक्त देय होगा। **(प्रति वीडियो अधिकतम भुगतान 1.10 लाख रुपये तक ही देयं होगा।)** 3. श्रेणी बी में सूचीबद्ध डिजीटल मीडिया हैन्डल/ पेज/चैनल को **अधिकतम 04 लाख रुपये प्रतिमाह** के विज्ञापन निर्गत किए जा सकेंगे।
श्रेणी सी	1(i) 0 से 90 सेकेण्ड तक के रील्स/शॉटर्स वीडियो के प्रदर्शन हेतु दर रुपये 40 हजार प्रति विज्ञापन देय होगा तथा दिये गये विषय पर वीडियो/रील/पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि रु0 60 हजार तक देय होगी। (ii) प्रति वीडियो के प्रदर्शन की कुल समयावधि 30 दिवस पूर्ण होने के उपरांत 01 लाख व्यूज से अधिक प्रति 01 लाख व्यूज पर 10 हजार रुपये अतिरिक्त देय होगा। **(प्रति वीडियो अधिकतम भुगतान 80 हजार रुपये तक ही देय होगा।)** 2 (i) 90 सेकेण्ड से अधिक के वीडियो/रील प्रदर्शन हेतु दर रुपये 65 हजार प्रति विज्ञापन देय होगा तथा दिये गये विषय पर वीडियो/रील/पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि रु0 75 हजार तक देय होगी। (ii) प्रति वीडियो के प्रदर्शन की कुल समयावधि 30 दिवस पूर्ण होने के उपरांत 01 लाख व्यूज से अधिक प्रति 01 लाख व्यूज पर 10 हजार रुपये अतिरिक्त देय होगा। (प्रति **वीडियो अधिकतम भुगतान 01 लाख रुपये तक ही देय होगा।)** 3. श्रेणी सी में सूचीबद्ध डिजिटल मीडिया हैन्डल/पेज/चैनल को **अधिकतम 03 लाख रुपये प्रतिमाह** के विज्ञापन निर्गत किए जा सकेंगे।

श्रेणी डी	1(i) 0 से 90 सेकेण्ड तक के रील्स/शॉटर्स वीडियो तक के वीडियो/रील के प्रदर्शन हेतु दर रुपये 35 हजार प्रति विज्ञापन देय होगा तथा दिये गये विषय पर वीडियो/रील/पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि रू0 50 हजार तक देय होगी। (ii) प्रति वीडियो के प्रदर्शन की कुल समयावधि 30 दिवस पूर्ण होने के उपरांत 01 लाख व्यूज से अधिक प्रति 01 लाख व्यूज पर 10 हजार रुपये अतिरिक्त देय होगा। **(प्रति वीडियो अधिकतम भुगतान 70 हजार रुपये तक ही देय होगा।)** 2 (i) 90 सेकेण्ड से अधिक के वीडियो/रील प्रदर्शन हेतु दर रुपये 60 हजार प्रति विज्ञापन देय होगा तथा दिये गये विषय पर वीडियो/रील/पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि रू0 65 हजार तक देय होगी। (ii) प्रति वीडियो के प्रदर्शन की कुल समयावधि 30 दिवस पूर्ण होने के उपरांत 01 लाख व्यूज से अधिक प्रति 01 लाख व्यूज पर 10 हजार रुपये अतिरिक्त देय होगा। **(प्रति वीडियो अधिकतन भुगतान 90 हजार रुपये तक ही देय होगा।)** 3. श्रेणी डी में सूचीबद्ध डिजिटल मीडिया हैन्डल/पेज/चैनल को **अधिकतम 02 लाख रुपये** प्रतिमाह के विज्ञापन निर्गत किए जा सकेंगे।

तालिका- 'ब'	
अकाउंट होल्डर/ संचालक/डिजिटल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स की श्रेणी	**भुगतान विवरण फेसबुक / इंस्टाग्राम/ X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट/ट्वीट हेतु**
श्रेणी ए	3. एक पोस्ट/ट्वीट किए जाने पर दर रुपये 10 हजार देय होगा। 2. प्रति पोस्ट/ट्वीट के किए जाने पर अकाउंट होल्डर के कुल फालोवर्स का 50% रीच/व्यूज/लाइक्स कुल समयावधि 30 दिन पूर्ण होने के उपरांत प्रति 10% पर **रू0 03 हजार अतिरिक्त देय** होगा। इस श्रेणी में अधिकतम भुगतान की सीमा रू0 50 हजार होगी।
श्रेणी बी	1. एक पोस्ट/ट्वीट किए जाने पर दर रुपये 08 हजार देय होगा। 2. प्रति पोस्ट/ट्वीट के किए जाने पर अकाउंट होल्डर के कुल फालोवर्स का 50% रीच/व्यूज/लाइक्स कुल समयावधि 30 दिन पूर्ण होने के उपरांत प्रति 10%

	पर रु0 02 हजार अतिरिक्त देय होगा। इस श्रेणी में अधिकतम भुगतान की सीमा रु0 40 हजार होगी।
श्रेणी सी	1. एक पोस्ट/ट्वीट किए जाने पर दर रुपये 06 हजार देय होगा। 2. प्रति पोस्ट/ट्वीट के किए जाने पर अकाउंट होल्डर के कुल फालोवर्स का 50% रीच / व्यूज /लाइक्स कुल समयावधि 30 दिन पूर्ण होने के उपरांत प्रति 10% पर रु0 1.5 हजार अतिरिक्त देय होगा। इस श्रेणी में अधिकतम भुगतान की सीमा रु0 30 हजार होगी।
श्रेणी डी	1. एक पोस्ट/ट्वीट प्रदर्शित किए जाने पर दर रुपये 05 हजार देय होगा। 2. प्रति पोस्ट/ट्वीट के प्रदर्शित किए जाने पर अकाउंट होल्डर के कुल फालोवर्स का 50% रीच/व्यूज/लाइक्स कुल समयावधि 30 दिन पूर्ण होने के उपरांत प्रति 10% पर रु0 01 हजार अतिरिक्त देय होगा। इस श्रेणी में अधिकतम भुगतान की सीमा रु0 20 हजार होगी।

नोट- फेसबुक/इंस्टाग्राम/X (पूर्व में ट्विटर) प्लेटफार्म्स पर किसी एक फर्म/एजेंसी को एक माह में विज्ञापन की अधिकतम सीमा श्रेणीवार तालिका 'अ' एवं 'ब' को मिलाकर विज्ञापन की अधिकतम सीमा तालिका 'अ' के अनुरूप ही श्रेणीवार अनुमन्य होगी। इसमें किसी भी प्रकार के शिथिलीकरण का अधिकार शासन में निहित होगा।

अकाउंट होल्डर/संचालक/ डिजिटल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स की श्रेणी	भुगतान विवरण (यूट्यूब पर वीडियो/शार्ट्स/पॉडकास्ट हेतु)
श्रेणी ए	1 (i) प्रति वीडियो के प्रदर्शन हेतु दर रुपये 01 लाख रुपये प्रति विज्ञापन देय होगा तथा दिये गये विषय पर वीडियो/शार्ट्स/पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि रु0 2 लाख तक देय होगी। (ii) प्रति वीडियो के प्रदर्शन की कुल समयावधि 30 दिवस पूर्ण होने के उपरांत 01 लाख व्यूज से अधिक प्रति 80 हजार व्यूज पर 10 हजार रुपये अतिरिक्त देय होगा। (प्रति वीडियो **अधिकतम भुगतान 2.20 लाख रुपये तक ही देय होगा।)** 2(i) प्रति शार्ट्स के प्रदर्शन हेतु दर रुपये 50 हजार प्रति विज्ञापन देय होगा तथा दिये गये

	विषय पर वीडियो/शार्ट्स/पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि रु0 1.00 लाख तक देय होगी। (ii) प्रति शार्ट्स के प्रदर्शन की कुल समयावधि 30 दिवस पूर्ण होने के उपरांत 01 लाख व्यूज से अधिक प्रति 01 लाख व्यूज पर 10 हजार रुपये अतिरिक्त देय होगा। **(प्रति शार्ट्स अधिकतम भुगतान 1.20 लाख रुपये तक ही देय होगा।)** 3. विभिन्न विज्ञापनों के कुल भुगतान की अधिकतम सीमा प्रतिमाह 08 लाख रुपये तक होगी।
श्रेणी डी	1(i) प्रति वीडियो के प्रदर्शन हेतु दर रुपये 60 हजार प्रति विज्ञापन देय होगा तथा दिये गये विषय पर वीडियो/शार्ट्स/पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि रु0 01 लाख तक देय होगी। (ii) प्रति वीडियो के प्रदर्शन की कुल समयावधि 30 दिवस पूर्ण होने के उपरांत 01 लाख व्यूज से अधिक प्रति 80 हजार व्यूज पर 10 हजार रुपये अतिरिक्त देय होगा। **(प्रति वीडियो अधिकतम भुगतान 1.20 लाख रुपये तक ही देय होगा।)** 2(i) प्रति शार्ट्स के प्रदर्शन हेतु दर रुपये 40 हजार प्रति विज्ञापन देय होगा तथा दिये गये विषय पर वीडियो/शार्ट्स/पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि रु0 80 हजार तक देय होगी। (ii) प्रति शार्ट्स के प्रदर्शन की कुल समयावधि 30 दिवस पूर्ण होने के उपरांत 01 लाख व्यूज से अधिक प्रति 01 लाख व्यूज पर 10 हजार रुपये अतिरिक्त देय होगा। **(प्रति शार्ट्स अधिकतम भुगतान 1.00 लाख रुपये तक ही देय होगा।)** 3. विभिन्न विज्ञापनों के कुल भुगतान की **अधिकतम सीमा प्रतिमाह 07 लाख रुपये तक होगी।**

श्रेणी सी	1(i) प्रति वीडियो के प्रदर्शन हेतु दर रुपये 50 हजार रुपये प्रति विज्ञापन देय होगा तथा दिये गये विषय पर वीडियो/शार्ट्स/पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि रु0 80 हजार तक देय होगी। (ii) प्रति वीडियो के प्रदर्शन की कुल समयावधि 30 दिवस पूर्ण होने के उपरांत 01 लाख व्यूज से अधिक प्रति 80 हजार व्यूज पर 10 हजार रुपये अतिरिक्त देय होगा। **(प्रति वीडियो अधिकतम भुगतान 01 लाख रुपये तक ही देय होगा।)** 2(i) प्रति शार्ट्स के प्रदर्शन हेतु दर रुपये 30 हजार प्रति विज्ञापन देय होगा तथा दिये गये विषय पर वीडियो/शार्ट्स/पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि रु0 60 हजार तक देय होगी। (ii) प्रति शार्ट्स के प्रदर्शन की कुल समयावधि 30 दिवस पूर्ण होने के उपरांत 01 लाख व्यूज से अधिक प्रति 01 लाख व्यूज पर 10 हजार रुपये अतिरिक्त देय होगा। **(प्रति शार्ट्स अधिकतम भुगतान 80 हजार रुपये तक ही देय होगा।)** 3. विभिन्न विज्ञापनों के कुल भुगतान की **अधिकतम सीमा प्रतिमाह 06 लाख रुपये तक होगी।**
श्रेणी डी	1(i) प्रति वीडियो के प्रदर्शन हेतु दर रुपये 40 हजार प्रति विज्ञापन देय होगा तथा दिये गये विषय पर वीडियो/शार्ट्स/पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि रु0 60 हजार तक देय होगी। (ii) प्रति वीडियो के प्रदर्शन की कुल समयावधि 30 दिवस पूर्ण होने के उपरांत 01 लाख व्यूज से अधिक प्रति 80 हजार व्यूज पर 10 हजार रुपये अतिरिक्त देय होगा। **(प्रति वीडियो अधिकतम भुगतान 80 हजार रुपये तक ही देय होगा।)** 2(i) प्रति शार्ट्स के प्रदर्शन हेतु दर रुपये 20 हजार प्रति विज्ञापन देय होगा तथा दिये गये

	विषय पर वीडियो/शार्ट्स/पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि रु0 40 हजार तक देय होगी। (ii) प्रति शार्ट्स के प्रदर्शन की कुल समयावधि 30 दिवस पूर्ण होने के उपरांत 01 लाख व्यूज से अधिक प्रति 01 लाख व्यूज पर 10 हजार रुपये अतिरिक्त देय होगा। (प्रति शार्ट्स अधिकतम भुगतान 60 हजार रुपये तक ही देय होगा।) 3. विभिन्न विज्ञापनों के कुल भुगतान की अधिकतम सीमा प्रतिमाह 04 लाख रुपये होगी।

नोट- यूट्यूब प्लेटफार्म पर किसी एक फर्म/एजेंसी को एक माह में विज्ञापन की अधिकतम सीमा श्रेणीवार अधिकतम सीमा के अनुरूप ही अनुमन्य होगी। इसमें किसी भी प्रकार के शिथिलीकरण का अधिकार शासन में निहित होगा।

6- <u>विज्ञापन बंद किए जाने/सूचीबद्धता रद्द किए जाने के संबंध में:-</u>

(1) यदि कोई भी कंटेंट क्रिएटर किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड करता है या कोई ऐसा कंटेंट अपलोड करता है जो आई.टी. एक्ट का उल्लंघन करती है, ऐसी स्थिति में सूचीबद्धता रद्द किए जाने की कार्यवाही निदेशक, सूचना द्वारा की जायेगी।

(2) जिस डिजिटल मीडिया हैन्डल / पेज / चैनल / अकाउंट होल्डर / संचालक / डिजिटल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स/कन्टेन्ट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म को विज्ञापन जारी किए जाएंगे उसके अकाउंट का कंटेट अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए। आवेदन करने वाले डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज चैनल को एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि प्रस्तुत की गई जानकारी सही है। यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी झूठी या गलत पाई जाती है, तो विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा और विधिक कार्यवाही की जाएगी।

(3) सूचीबद्ध डिजिटल मीडिया हैंडल / पेज चैनल के फालोवर्स की संख्या की जांच प्रत्येक 03 माह में विभाग द्वारा की जाएगी। निर्धारित मापदंडों से फालोवर्स की संख्या कम पाएं जाने पर उक्त डिजिटल मीडिया हैन्डल / पेज / चैनल / अकाउंट होल्डर / संचालक डिजिटल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स/कन्टेन्ट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म को फालोवर्स की संख्या के अनुसार उपयुक्त श्रेणी के आधार पर ही विज्ञापन निर्गत किये जाएंगे।

(4) ऐसे सूचीबद्ध डिजिटल मीडिया हैन्डल / पेज / चैनल / अकाउंट होल्डर / संचालक / डिजिटल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स/कन्टेन्ट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म जो विभाग द्वारा निर्गत किए गए विज्ञापन को अपने प्लेटफार्म पर प्रदर्शित करने से मना करेंगे अथवा प्रस्तर-2.3 में भुगतान हेतु वर्णित मापदंड की गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।

7- <u>डिजिटल मीडिया हैंडल्स संचालकों /डिजिटल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को विज्ञापन मान्यता व वितरण प्रक्रिया एवं मार्गदर्शिका</u>

(1) विज्ञापन दिए जाने के लिए विभागीय स्तर पर निदेशक, सूचना अधिकृत होंगे।

(2) कोई भी ऐसा कंटेन्ट/वीडियो/ट्वीट/पोस्ट/रील जो कि राष्ट्र विरोधी हो/ समाज विरोधी हों/ अभद्र हो या समाज के विभिन्न तबकों की भावना को ठेस पहुंचाता हो/ गलत तथ्यों पर आधारित हो/ सरकार की योजनाओं को गलत ढंग से या गलत मंशा से प्रस्तुत करता हो, उस स्थिति में उक्त कंटेन्ट को पूर्ण रूप से रद्द करते हुए, संबंधित के विरुद्ध विधिक कार्यवाही निदेशक, सूचना द्वारा की जाएगी।

(3) उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति एवं विकास / समाचार संबंधी कंटेन्ट को प्राथमिकता से पोस्ट करने वाले डिजिटल मीडिया हैन्डल / पेज / चैनल / अकाउंट होल्डर / संचालक/ डिजिटल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स/कन्टेन्ट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म को विज्ञापन की दृष्टि से प्राथमिकता दी जाएगी।

(4) सूचीबद्ध डिजिटल मीडिया हैन्डल / पेज. / चैनल / अकाउंट होल्डर / संचालक / डिजिटल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स/कन्टेन्ट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म के प्रति विभाग मासिक भुगतान के लिए बाध्य नहीं होगा।

(5) कार्य की तात्कालिकता के दृष्टिगत विभागाध्यक्ष की अनुमति एवं विभागीय समिति की संस्तुति पर प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित कंटेन्ट प्रदेश के ख्याति प्राप्त गैर-सूचीबद्ध प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया इंफ्लूएंसर्स को उनके सब्स्क्राइबर/फॉलोअर्स के आधार पर उपयुक्त श्रेणी की स्वीकृत अधिकतम धनराशि का विज्ञापन जारी किया जा सकेगा।

(6) सानान्य दशा में अधिकतम अनुमन्य सीमा तक ही विज्ञापन निर्गत किया जाएगा जैसा कि विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्म्स के भुगतान संबंधी प्रावधानों में विभिन्न श्रेणियों में दर्शाया गया है।

(7) विशेष परिस्थितियों में विज्ञापन की उपयोगिता व कंटेन्ट की गुणवत्ता के आधार पर निदेशक, सूचना की आख्या/संस्तुति के आधार पर अनुमन्य सीमा में शिथिलता प्रदान किये जाने का अधिकार शासन में निहित होगा।

(8) कंटेन्ट दोहराया नहीं जाना चाहिए। अभिन्न कंटेन्ट पर बनाई गई कंटेन्ट/ वीडियो/ ट्वीट/ पोस्ट/रील का भुगतान विभिन्न व्यक्तियों/एजेन्सियों को नहीं किया जाएगा। डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज चैनल के स्वामी को अधिकार स्वरूप कोई भी विज्ञापन अनुमन्य नहीं होगा।

(9) भुगतान हेतु जो मापदंड सम्बन्धित डिजिटल मीडिया के आकलन/गणना हेतु प्रयोग में आने वाले सॉफ्टवेयर के अधिकृत अद्यतन वर्जन (Authorise Upgraded Version) के आधार पर शासन को सूचित कर सहमति प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

(10) **उक्त नियमावली में किसी भी उपबंध में संशोधन के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे।**

भवदीय,

(संजय प्रसाद)
प्रमुख सचिव

<u>संख्याः-406(1)/उन्नीस-2-2024 तद्दिनांकित</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 शासन।
4. वित्त व्यय (नियंत्रण) अनुभाग-7।
5. आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2।
6. न्याय अनुभाग-6।
7. उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. सूचना अनुभाग-1।
9. गोपन अनुभाग-1।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश भारती)
विशेष सचिव